

17.02.2026:-पत्रावली आज प्राथी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्राथी वकील का मूल वादपत्र विद्वा खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र विद्वा में खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

हिंसा